संख्या : 26/2018/1425/60-3-2018-74 (सा)/18

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 दिनांक : लखनऊ : 10 अगस्त, 2018

विषय-जनपद प्रतापगढ़ में स्थित स्वाधार गृहों के निरीक्षण में पायी गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में कार्यवाही।

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक 1411/शिविर-2018, दिनांक 09 अगस्त 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मैक्सन स्वाधार आश्रय गृह, अचलपुर, कादीपुर, प्रतापगढ़ एवं जागृति स्वाधार आश्रय गृह, अष्टभुजा नगर, प्रतापगढ़ की जांच रिपोर्ट प्रेषित की गयी है।

उक्त जांच रिपोर्ट में निरीक्षण टीम को निम्नलिखित अनियमितताएं मिली हैं-

1- महिलाओं का फर्जी रजिस्ट्रेशन कर उपस्थिति रजिस्टर में मिथ्या उपस्थिति दिखाना।

2- संस्था संबंधी महत्वपूर्ण अभिलेखों, विशेषतया वित्तीय अभिलेखों का रख-रखाव एवं उनका अद्यावधिक न किया जाना।

3- संस्था द्वारा संवासिनियों को मूलभूत सुविधायें यथा-साफ-सफाई, भोजन, बेड, सुरक्षा प्रशिक्षण, चिकित्सा आदि की व्यवस्था मानक के अनुरूप उपलब्ध न कराना।

संस्थाओं को स्वीकृत धनराशि संबंधी पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार संस्था को स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों के अधीन सुनिश्चित किया जायेगा और संस्था के भौतिक सत्यापन/जांच किये जाने के उपरान्त यदि कोई अनियमितता/विसंगति पायी जाती है, तो भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूली की जायेगी।

आपके पत्र से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया उक्त दोनों संस्थाओं द्वारा विहित शर्तों का उल्लंघन करते हुए अनियमितता/विसंगति व नियमों में विचलन किया गया है और शासकीय धनराशि का व्यपहरण करते हुए गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी हैं तथा सम्बन्धित अभिलेखों का रख-रखाव भी नियमानुसार नहीं किया गया है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित कार्यवाही तत्काल करना सुनिश्चित करें-

1- सम्बन्धित संस्थाओं एवं संचालकों के विरूद्ध आई0पी0सी0 एवं अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी जाये।

2- सम्बन्धित गृहों में वर्तमान में आवासित महिलाओं को राजकीय महिला शरणालय, वाराणसी में स्थानान्तरित किया जायें।

3- उपरोक्त दोनों संस्थाओं को वर्ष 2017-18 में आवंटित धनराशि को भू-राजस्व के बकाये की भांति संस्था संचालकों से वसूल कर राज्य सरकार के प्राप्ति लेखा-शीर्षक में जमा करायी जायें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- दोनों संस्थाओं (1) मैक्सन स्वाधार आश्रय गृह, अचलपुर, कादीपुर, प्रतापगढ़ एवं (2) जागृति स्वाधार आश्रय गृह, अष्टभुजा नगर, प्रतापगढ़ को तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट किया जाता है। कृपया उपरोक्त कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर तत्काल कराना सुनिश्चित करें।

भवदीया

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव

संख्याः-1425 (1)/60-3-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
2- निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0।
3- जिलाधिकारी, वाराणसी।
4- पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़/वाराणसी।
5- सदस्य सचिव, उ0प्र0 नियंत्रण बोर्ड, मोती महल, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित दोनों संस्थाओं की किसी भी प्रकार के गृह संचालन के रूप में प्रदान की गयी मान्यता को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने हेतु।
6- उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, इलाहाबाद/वाराणसी।
7- जिला परिवीक्षा अधिकारी, प्रतापगढ़/वाराणसी।

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।